मुबारक अली उम्र– 50 वर्ष पिता स्व0 श्री रमजान अली निवासी ग्राम–सिंहपुर
थाना–सिंहपुर तहसील–सोहागपुर जिला शहडोल (म0प्र0)........ निगरानीकर्ता

बनाम

1. महरूम बी पति श्री कासिम बक्स
2. अमाना बी पिता श्री कासिम बक्स
3. मो0 याहिया पिता श्री कासिम बक्स
4. मो0 मुअल्लिम पिता श्री कासिम बक्स
5. खैरून्निशा पिता श्री कासिम बक्स
6. मो0 इब्राहिम पिता श्री कासिम बक्स
7. मो0 ताहिर पिता श्री कासिम बक्स
9. हैदर पिता श्री कासिम बक्स
10. नूरजहॉ पिता श्री कासिम बक्स
11. शाहजहॉ बेगम पति श्री कासिम बक्स सभी निवासी ग्राम–सिंहपुर थाना–सिंहपुर तहसील–सोहागपुर जिला शहडोल (म0प्र0)............ गैरनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क्रमांक–14/अपील/अ–90(4)/2010–11 आदेश दि.–22.01.2018

मान्यवर,

संक्षिप्त मे निगरानी के तथ्य निम्न है :–

यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के न्यायालय मे वर्ष 1996 मे ग्राम सिंहपुर तहसील–सोहागपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश अन्तर्गत स्थित आराजी खसरा नम्बर–1280 रकवा– 3 डिसमिल पर वास स्थान दखलकार अधिनियम–1980 के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2018/1572 मुबारक विरूद्ध महरूम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/अ-90(4)/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 22-01-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये संक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

05/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य